2025: CGHC: 56721–DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 168 वर्ष 2025

राज कुमार सोनवानी, आत्मज रामसाय, आयु लगभग 48 वर्ष,

निवासी– ग्राम करजी, पोस्ट व थाना पटना, तहसील बैकुंठपुर,

जिला– कोरिया (छ.ग.) (प्रतिवादी)

----अपीलार्थी

विरुद्ध

कुमारी पूर्णिमा, पिता राज कुमार सोनवानी, आयु लगभग 25 वर्ष,

निवासी– ग्राम कमलपुर, पोस्ट कृष्णपुर, थाना सूरजपुर,

तहसील रामानुजनगर, जिला– सूरजपुर (छ.ग.) (वादी)

----प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु: श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी हेतु: श्री उत्कर्ष पटेल, अधिवक्ता
न्यायमित्र के रूप में: श्री शरद मिश्रा, अधिवक्ता

युगल पीठ
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल
बोर्ड पर निर्णय

21.11.2025

> "एक पिता अपनी अविवाहित पुत्रियों की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता। अपनी पुत्रियों का भरण–पोषण करना और उनकी शिक्षा तथा विवाह सहित उनके अन्य खर्चों का ध्यान रखना पिता का कर्तव्य और दायित्व है। यह दायित्व कानूनी है और पूर्ण प्रकृति का है, जो कि पक्षों के मध्य संबंधों के अस्तित्व मात्र से उत्पन्न होता है। 'कन्यादान' एक हिंदू पिता का पवित्र और धार्मिक दायित्व है, जिससे वह पीछे नहीं हट सकता।"

1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **पूनम सेठी बनाम संजय सेठी**[1] के प्रकरण में की गई उपरोक्त टिप्पणी वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होती है।

---

1 (2022) 1 High Court Cases (Del) 95 : 2022 SCC Online Del 69

2. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने सिविल वाद क्रमांक 56A/2022 में पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 02/09/2024 की वैधानिकता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय के माध्यम से परिवार न्यायालय, सूरजपुर (छ.ग.) ने हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (तत्पश्चात, 1956 का अधिनियम) की धारा 3(b) के साथ पठित धारा 20 के तहत प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए, 2,500/– रुपये प्रति माह भरण–पोषण और 5,00,000/– रुपये उसके विवाह व्यय के रूप में प्रदान किए हैं।

3. प्रत्यर्थी/वादी, अपीलार्थी/प्रतिवादी की पुत्री है और उसने 1956 के अधिनियम की धारा 20 सहपठित धारा 3(b) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया था कि उसके पिता यानी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने साबरी उर्फ सौरी नामक महिला के साथ दूसरा विवाह कर लिया है और उस विवाह से उनके दो बच्चे हैं। चूंकि प्रत्यर्थी/वादी की आयु लगभग 25 वर्ष है और वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी एक सरकारी शिक्षक होने के नाते प्रदर्श पी/4 के अनुसार 44,642/– रुपये प्रति माह कमाता है, इसलिए प्रत्यर्थी/वादी भरण–पोषण के साथ–साथ 15,00,000/– रुपये की सीमा तक विवाह व्यय पाने की हकदार है, जिसका प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया था।

4. विद्वान परिवार न्यायालय ने विस्तृत जांच के पश्चात यह पाया कि चूंकि प्रत्यर्थी/वादी अपीलार्थी/प्रतिवादी की पुत्री है और अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, इसलिए वह अपने विवाह तक अपीलार्थी/प्रतिवादी से 2,500/– रुपये प्रति माह भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है और विवाह व्यय के रूप में 5,00,000/– रुपये प्राप्त करने की भी हकदार है। इसी निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह ने तर्क दिया कि परिवार न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/वादी को भरण–पोषण और विवाह व्यय प्रदान करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि दोनों पक्षों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **रजनीश बनाम नेहा**[2] के प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार शपथ–पत्र दाखिल नहीं किया था। अतः, परिवार न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है।

6. प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष पटेल ने विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री का समर्थन किया और निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील खारिज की जाए।

7. न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शरद मिश्रा ने तर्क दिया कि परिवार न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में भरण–पोषण और विवाह व्यय प्रदान करना पूरी तरह से न्यायसंगत है। उन्होंने हमारा ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा **अभिलाषा बनाम प्रकाश**[3] के प्रकरण में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण और न्यायमित्र को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार किया और पूर्ण सतर्कता के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया।

---

2 AIR 2021 SC 569
3 (2021) 13 SCC 99

9. अपीलार्थी/प्रतिवादी और प्रत्यर्थी/वादी के बीच पिता और पुत्री का संबंध निर्विवाद है और यह भी विवाद का विषय नहीं है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने दूसरा विवाह कर लिया है और उस विवाह से उसके दो बच्चे हैं। प्रत्यर्थी/वादी का मामला यह है कि वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है और उसे अपने विवाह के खर्चों के वहन के लिए अपने पिता, अर्थात अपीलार्थी/प्रतिवादी से वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता है।

10. इस स्तर पर, 1956 के अधिनियम की धारा 3(b) के तहत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर गौर करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार उपबंधित हैं: –

> "3. परिभाषाएं। – (a) XXX
>
> (b) "भरण–पोषण" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं –
>
> (i) सभी मामलों में, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए प्रावधान;
>
> (ii) किसी अविवाहित पुत्री के प्रकरण में, उसके विवाह के उचित और उससे आनुषंगिक व्यय भी;"

11. उपरोक्त प्रावधान के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3(b) के तहत "भरण–पोषण" की परिभाषा का खंड (ii) समावेशी है और इसमें अविवाहित पुत्री के विवाह के व्यय शामिल हैं। अविवाहित पुत्री के प्रकरण में, 'भरण–पोषण' के अंतर्गत उसके विवाह के उचित और उससे आनुषंगिक व्यय सम्मिलित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. 1956 के अधिनियम की धारा 20 बच्चों और वृद्ध माता–पिता के भरण–पोषण का प्रावधान करती है। धारा 20 का खंड (3) इस प्रकार है: –

> "20. बच्चों और वृद्ध माता–पिता का भरण–पोषण। –
>
> (1) XXX
>
> (2) XXX
>
> (3) किसी व्यक्ति का अपने वृद्ध या अशक्त माता–पिता या अपनी अविवाहित पुत्री का भरण–पोषण करने का दायित्व उस सीमा तक विस्तारित है, जहाँ तक कि वह माता–पिता या अविवाहित पुत्री, यथास्थिति, अपनी स्वयं की कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।"

13. 1956 के अधिनियम की धारा 20(3) **अभिलाषा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार हेतु आई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि 1956 के अधिनियम की धारा 20 एक हिंदू पर अपनी उस पुत्री का भरण–पोषण करने का सांविधिक दायित्व डालती है जो अविवाहित है और अपनी स्वयं की कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। यह भी निर्धारित किया गया है कि धारा 20 के तहत अविवाहित पुत्री का अपने पिता से भरण–पोषण का दावा करने का अधिकार पूर्ण है जब वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो, और धारा 20 के तहत अविवाहित पुत्री को दिया गया यह अधिकार व्यक्तिगत विधि के तहत विधिवत प्रदान किया गया है, जिसे वह अपने

पिता के विरुद्ध प्रभावी रूप से प्रवर्तित करा सकती है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 32 इस प्रकार है: –

> "32. 1956 के अधिनियम की धारा 20 का प्रावधान एक हिंदू पर अपनी अविवाहित पुत्री, जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, का भरण–पोषण करने का स्पष्ट सांविधिक दायित्व अधिरोपित करता है। धारा 20 के तहत अविवाहित पुत्री का अपने पिता से भरण–पोषण का दावा करने का अधिकार पूर्ण है और धारा 20 के तहत अविवाहित पुत्री को दिया गया यह अधिकार व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत उचित रूप से प्रदान किया गया है, जिसे वह अपने पिता के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकती है। इस न्यायालय द्वारा **जगदीश जुगतावत**[4] के प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई कि 1956 के अधिनियम की धारा 20(3) एक नाबालिग लड़की के वयस्क होने के बाद उसके विवाह होने तक पिता से भरण–पोषण का दावा करने के अधिकार को मान्यता देती है। अविवाहित पुत्री स्पष्ट रूप से अपने विवाह तक अपने पिता से भरण–पोषण पाने की हकदार है, भले ही वह वयस्क हो गई हो, जो कि धारा 20(3) द्वारा मान्यता प्राप्त एक सांविधिक अधिकार है और जिसे अविवाहित पुत्री द्वारा विधि के अनुसार प्रवर्तित कराया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **अभिलाषा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रत्यर्थी/वादी वयस्क है और उसकी आयु लगभग 25 वर्ष है, किंतु 1956 के अधिनियम की धारा 20(3) के साथ पठित धारा 3(b)(ii) के आधार पर, एक अविवाहित पुत्री होने के नाते, वह अपने विवाह तक अपने पिता (अपीलार्थी/प्रतिवादी) से भरण–पोषण और विवाह व्यय पाने की स्पष्ट रूप से हकदार है, जो उसका सांविधिक अधिकार है। अपीलार्थी/प्रतिवादी, प्रत्यर्थी/वादी का पिता होने के नाते, अपनी उस पुत्री का भरण–पोषण करने के लिए नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार और बाध्य है जो अविवाहित है, भले ही उसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो। वह किसी भी आधार पर विवाह व्यय के भुगतान से इनकार नहीं कर सकता, विशेषकर तब जब वह प्रदर्श पी/4 के अनुसार एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत होकर उचित वेतन प्राप्त कर रहा है।

15. प्रकरण के उक्त परिप्रेक्ष्य में, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/वादी के आवेदन को स्वीकार करना और उसके विवाह होने तक या जब तक वह अपनी जीविका अर्जित करने की स्थिति में न आ जाए, तब तक के लिए 2,500/– रुपये प्रति माह भरण–पोषण तथा 5,00,000/– रुपये विवाह व्यय के रूप में प्रदान करना पूर्णतः न्यायसंगत है। अतः, हमें इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

16. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा 2,500/– रुपये की भरण–पोषण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और विवाह व्यय हेतु 5,00,000/– रुपये भी जमा नहीं किए गए हैं; जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अनुदेशानुसार यह निवेदन किया कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा भरण–पोषण की

---

4 Jagdish Jugtawat v. Manju Lata, (2002) 5 SCC 422

राशि का नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा और 5,00,000/– रुपये तीन माह के भीतर जमा कर दिए जाएंगे।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह अपील सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही /– **(संजय के. अग्रवाल)** न्यायाधीश	सही /– **(संजय कुमार जायसवाल)** न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur